फा.सं. 15–07/जीए/2012–एफ एस एस ए आई

दिनांकः 11.06.2012

विषयः दिनांक 6 जून, 2012 को हुई प्राधिकरण की नवीं बैठक का कार्यवृत

दिनांक 6 जून, 2012 को हुई प्राधिकरण की नवीं बैठक के कार्यवृत को अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है जो आवश्यक कार्यवाही के लिए संलग्न किया गया है।

संलग्नः 9वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत

अनुलग्नकः

i. उपस्थित पत्र
ii. सी ई ओ की रिपोर्ट

(असीम चौधरी)

निदेशक (प्रशासन)

वितरणः

1. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा, 206 अरबिन्दो प्लेस मार्किट, अरबिन्दो मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016
2. सुश्री इंद्राणी कर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 4ए, चौथा तल, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

3. सुश्री वसुंधरा प्रमोद देवधर, केयर/ऑफ मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, संत ध्यानेश्वर मार्ग, जेवीपीडी विले पार्ले पश्चिम, मुंबई–400056
4. श्री बिजोन मिश्रा, ई–15/ए, प्रथम तल, ईस्ट कैलाश, नई दिल्ली–1100065
5. डा. एस गिरीजा, राष्ट्रीय मत्सय संस्थान, पोस्ट हार्वेस्ट टैकनौलॉजी एंड ट्रेनिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 1801, कोचीन–682016
6. श्री प्रवीन प्रकाश (आईएएस), इंस्टि्टयूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और खाद्य (स्वास्थ्य) प्रशासन, नारायणगुडा, हैदराबाद–500029
7. श्री सी, राणा, एनआरएचएम, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार, बेज नं. 55–58, पर्यटन भवन, सेक्टर–2, पंचकुला, हरियाणा
8. श्री संजय कुमार (आईएएस), राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, परिवार कल्याण भवन, शेखपुर, पटना–800014
9. श्री कलिंग तैयांग (आईएएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नहारलागुन इटानगर, अरूणाचल प्रदेश–79111
10. डा. एस के. पाल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अंडमान निकोबार प्रशासन सचिवालय, डीएचएस कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर–744102
11. डा. श्रीमती टी.ए. कादरभाई, केयर/ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, शारदा नगर, डाकघर मालेगांव कालोनी, तालुका बारामती, जिला पुणे–413115
12. श्री वी. बालासुब्रामणियम, प्राउन फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया, 108/1, रेनबो ड्राइव लेऑउट, सरजापुर रोड, निकट–विप्रो, कार्पोरेट आफिस, बैंगलोर–560035
13. श्री अटानु पुरकायस्था, संयुक्त सचिव, कमरा सं. 244, द्वितीय तल, कृषि सहयोग विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
14. श्री असित त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग विभाग, उद्योग भवन नई दिल्ली
15. डा. यू वेंकटेश्वरालु, संयुक्त सचिव, पंचशील भवन, खाद्य प्रसंकरण मंत्रालय, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049
16. श्री मनोज परीदा, संयुक्त सचिव, उपयोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001
17. श्री अरूण के. पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 254, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001
18. डा. जी. नारायण राजू, संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

19. श्री एम.पी. सिंह, सलाहकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त (सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम), 7वां तल, ए विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः–

1. सीपी के पीपीएस
2. सी ई ओ के पीएस
3. सभी निदेशक, एफ एस एस ए आई प्रयोगशालाओं सहित
4. विषयवस्तु प्रबंधक, एफ एस एस ए आई

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

एफ डी ए भवन, कोटला रोड,

नई दिल्ली –110002.

दिनांक 6 जून, 2012 को एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित एफ एस एस ए आई की नवीं बैठक का कार्यवृत

अध्यक्ष श्री के. चंद्रमौली ने सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर प्रतिभागियों ने अपना–अपना परिचय दिया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक–1 में है। सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें अवकाश की अनुमति दी गई।

अध्यक्ष ने प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किए गए योगदान और अधिसूचना जारी होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और विनियमों को आगे बढ़ाने की सराहना की।

हितधारकों के सार्वजनिक परामर्श और टिपणियों के दौरान समाज के एक बड़े वर्ग–समूह से सलाह ली गई क्योंकि खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है।

उन्होंने पिछली बैठक के बाद के घटनाक्रम और खाद्य संरक्षा एवं मानक विनियमन, 2011 की अधिसूचना के बाद कार्यान्वयन प्रक्रिया के स्तर के बारे में सदस्यों को सूचित किया। लाइसेंस का नवीकरण 5 अगस्त, 2012 के पहले पूरा किया जाना है जिसके लिए सरलीकृत और आसान तरीकों के माध्यम से सभी स्तर पर ठोस प्रयास की जरूरत होगी।

मद संख्या 1: सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना

नए सदस्यों ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुभाग 7(3) और भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण विनियमन, 2008 के नियम 16 के तहत पद और गोपनीयता की शपथ ली और "रुचि की वार्षिक घोषणा" पर हस्ताक्षर भी किया।

मद संख्या 2: सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने कार्यवाही शुरु होने से पहले बैठक में विचार की जाने वाली सभी कार्यसूची मदों के संदर्भ में "रूचि की वार्षिक घोषणा" पर हस्ताक्षर किया।

मद संख्या 3: दिनांक 29 जून, 2011 को संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि

दिनांक 29 जून, 2011 को संपन्न आठवीं बैठक की कार्यवृत की प्राधिकरण ने पुष्टि की है।

मद संख्या 4: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट – एफ एस एस ए आई 2011–2012 के कार्य

प्राधिकरण ने वर्ष 2011–12 के दौरान एफ एस एस ए आई की गतिविधियों के बारे में सी ई ओ के रिपोर्ट को ध्यान में लिया। सी ई ओ के रिपोर्ट की एक प्रति अनुलग्नक–2 में है। वर्ष 2012–13 के दौरान प्राधिकरण के समक्ष की चुनौतियों को भी बताया गया।

संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि खाद्य एवं औषधि की 12वीं योजना परिव्यय के पहले प्रजेंटेशन बनाने के दौरान यह अपेक्षित था कि एक मसौदा योजना तैयार की जाए जिसमें राज्यों के साथ एक एमओयू शामिल हो ताकि वे अपनी प्रवर्तन मशीनरी, प्रयोगशाला, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों को सुदृढ़ कर सकें, जिससे कि धन जारी करते ही परिव्यय का उपयोग किया जा सके। डीजीसी (आई) द्वारा समान योजना तैयार की गई है। उन्होंने बैठक में यह भी सूचित किया कि एफएसएसआई के तहत पहली बार बजट का प्रावधान किया गया है।

कार्यसूची मद संख्या 1: जैतून तेल के लिए मसौदा मानक

जैतून तेल के मानक पर चर्चा की गई। प्राधिकरण की बैठक ने जैतून तेल के लिए मसौदा मानक को सर्वसम्मती से मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 2: कैफीनयुक्त पेय के लिए मसौदा मानक

कैफीनयुक्त पेय के मानक पर विस्तार से चर्चा हुई और सदस्यों के सुझाव और आकलन पर विचार करते हुए निम्नांकित निर्णय लिए गए...

- सुश्री मोना मल्होत्रा ने कहा "और स्पोर्ट्सपर्सन" शब्द को अनुच्छेद 4 (बी) से हटाया जा सकता है।
- उपभोक्ताओं को चेतावनी "बच्चों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं", कैफीन के प्रति संवेदनशील व्यक्ति को मोटे और बड़े अक्षरों में मुख्य डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित करना चाहिए।

- अनुच्छेद 4 (एफ) –"लेबल पर किसी तरह की पोषण सूचना, विटामिन और पोषण दावों सहित, नहीं दी जाएगी" – मसौदा मानक से हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह लेबलिंग विनियम के विरुद्ध है।

सदस्य सुश्री देवधर ने इंगित किया कि संदेश की अवस्थिति, अक्षर के आकार को प्रधानता दी जानी चाहिए और जहां तक हो सके महत्वपूर्ण संदेश अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। अध्यक्ष इस सुझाव से सहमत हैं। इस मामले में कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

कार्यसूची मद संख्या 3: विविध खाद्य वस्तुओं में पोषण अवयवों का उपयोग।

खाद्य प्राधिकरण ने कार्यात्मक फूड्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, मिताहार उत्पाद और अन्य समान उत्पादों पर वैज्ञानिक पैनल एवं खाद्य मानक की केन्द्रीय समिति के मसौदा अधिसूचना पर वैज्ञानिक समिति की अनुशंसा को नोट किया। विविध खाद्य वस्तुओं में पोषण अवयवों के उपयोग के लिए मसौदा अधिसूचना को निम्नांकित सुझाव बदलाव के साथ मंजूरी मिलीः

- सुश्री देवधर ने कहा कि अनुच्छेद 2 (111) के तहत, "शिशु खाद्य" खंड में शब्द स्पष्टता से उल्लेखित है जिसकी व्याख्या खाद्य संरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमन, 2011 में होनी चाहिए।
- सुश्री गिरिजा ने कहा कि फोर्टिफाइड आटा और फोर्टिफाइड मैदा के लिए मानकों में विषय या अंतिम विषय में जोड़ा गया" सहित कोई भी बाह्य पदार्थो को चूहे के बाल और मल–मूत्र सहित किसी बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा"।
- सुश्री इंद्राणी कर ने इंगित किया कि फोर्टिफाइड आटा से जिंक निकाला गया है। इस पर निदेशक (क्यूए एंड एस) ने स्पष्टीकरण दिया कि पैनल ने मुद्दे पर चर्चा की है और टिपण्णी के लिए मामला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) को भेजा है।

कार्यसूची मद संख्या 4ः खाद्य संरक्षा एवं मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ एवं अवशेष) विनियम, 2011

खाद्य प्राधिकरण ने कीटनाशक एवं एंटीबॉयटिक अपशिष्ट पर वैज्ञानिक पैनल और सीसीएफएस द्वारा अनुमोदित मसौदा अधिसूचना पर वैज्ञानिक समिति की अनुसंशा को नोट किया और मसौदा को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 5ः बड़ी मात्रा में पैकेजिंग, मिनरल वाटर और डिब्बा बंद पीने का पानी के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नीला रंग चढ़ाया हुआ प्लास्टिक कंटेनर

खाद्य श्रृंखला में मिलावट पर वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति की अनुसंशा को नोट किया और बड़ी मात्रा में पैकेजिंग, मिनरल वाटर और डिब्बा बंद पीने के पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नीला रंग चढ़ाए हुए प्लास्टिक कंटेनर को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 6ः दिनांक 25.07.2011 को संपन्न खाद्य योजक, स्वादिष्ट बनाने का मसाला, प्रसंस्करण एड्स और भोजन के संपर्क में पदार्थ पर वैज्ञानिक पैनल की दूसरी बैठक की अनुसंशा

खाद्य योजक, स्वादिष्ट बनाने का मसाला, प्रसंस्करण एड्स और भोजन के संपर्क में पदार्थ पर वैज्ञानिक पैनल और खाद्य योजक के रूप में पोटेशियम ब्रोमेट, विविध खाद्य पदार्थ (चोकलेट, ड्रेसिंग और सॉस) में इमल्सिफाइंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त कार्बोक्सिमिथाईल सेलुलोज, दुग्ध आधारित पेय में गेलान गम का उपयोग, ब्रेड बिस्कुट, केक, पेस्ट्रिज और मायोनिज, सलाद ड्रेसिंग में मिथाईल सेलुलोज का उपयोग के संबंध में वैज्ञानिक समिति की अनुसंशाओं को नोट किया और उन्हें मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 7ः दिनांक 02.11.2011 को संपन्न खाद्य योजक, स्वादिष्ट बनाने का मसाला, प्रसंस्करण एड्स और भोजन के संपर्क में पदार्थ पर वैज्ञानिक पैनल की तीसरी बैठक की अनुसंशा

खाद्य योजक, स्वादिष्ट बनाने का मसाला, प्रसंस्करण एड्स और भोजन के संपर्क में पदार्थ पर वैज्ञानिक पैनल और कार्बनेटेड और नन–कार्बोनेटेड पेय में पोलिडेक्सट्रॉज (आईएनएस 1200) के उपयोग पर वैज्ञानिक समिति की अनुसंशा पर खाद्य प्राधिकरण ने विचार किया।

कार्यसूची मद संख्या 8ः मधु में एंटीबॉयटिक की सीमा तय करना

खाद्य प्राधिकरण ने कीटनाशक एवं एंटीबॉयटिक अपशिष्ट पर वैज्ञानिक पैनल और मधु में एंटीबॉयटिक की सीमा तय करने के लिए वैज्ञानिक समिति की अनुसंशाओं को नोट किया और उन्हें सर्वसहमति से मंजूरी दी।

कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड वह एजेंसी है जो जांच करती है और किसानों को सुरक्षा के बारे में जागरुक करती है। अध्यक्ष ने सूचित किया कि एक बार मानकों के निर्धारण के बाद उसकी जानकारी कृषि मंत्रालय को दी जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 9: मसौदा आयात नियमन

खाद्य प्राधिकरण ने सर्वसहमति मंजूरी दी और सभी हितधारकों से टिप्पणी एवं सुझाव मांगते हुए मसौदा अधिसूचना के लिए अनुसंशा की।

श्री बेजोन मिश्रा ने टिपण्णी की कि चुंकि मसौदा पूराना हो चुका है इसलिए इस पर फिर से विचार की जरुरत है और उसके बाद इसे सार्वजनिक विचार–विमर्श के लिए रखा जा सकता है।

मानक प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के संदर्भ के साथ यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा नियमन के 23 प्रावधान के अध्याय 5 में पूर्व आगमन अधिसूचना प्रावधान दिया गया है जो ऐसे प्रमाणीकरण पर ध्यान रखता है।

कार्यसूची मद संख्या 10: प्राधिकरण को सूचना

(क) 2010 के प्राधिकरण द्वारा जारी परामर्श

(ख) एफएसएस अधिनियम, 2006 के अनुभाग 90 के तहत एफ एस एस ए आई को स्थानांतरित कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए गए विकल्प

सूचना के लिए प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष कार्यसूची रखा गया, लेकिन कोई टिपण्णी नहीं मिली।

कार्यसूची मद संख्या 11: वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन में यात्रा करने में रियायत

सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति जताई कि अधिकारियों और विशेषज्ञों को एयर इंडिया के अतिरिक्त नामित वर्ग में अन्य एयरलाइंस से यात्रा की अनुमति होनी चाहिए यदि किसी अनिवार्यता की स्थिति में एयर इंडिया से यात्रा करना संभव नहीं है।

यह भी महसूस किया गया कि टिकट कुछ पहचान किए गए ट्रैवल एजेंट तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जहां तक टिकट का मूल्य स्थापित मानकों के अनुरूप है, वहां टिकट की खरीद स्वीकार्य की जानी चाहिए।

अतिरिक्त विषयः प्राधिकरण बैठक हेतु खाद्य संरक्षा विनियमकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना को मंजूरी। सुश्री वसुंधरा देवोधर ने यह बात उठाई कि मुम्बई ग्राहक पंचायत, ग्राहकों को एफएसएस अधिनियम, 2006 के बारे में शिक्षित करने के लिए इच्छुक थी।

अन्य विषय सुझाव एवं योगदान

1. खाद्य संरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश का ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में प्रस्ताव, जिसे कार्योत्तर मंजूरी के साथ स्वचालित मोड में दिया गया, उस पर सहमति हुई।

2. डा. गिरिजा द्वारा मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के लिए एक अलग वैज्ञानिक पैनल बनाने के आग्रह को बढ़ते आयात के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया और जिस पर गंभीर रूप से विचार करने की सर्वसहमति बनी।

3. सदस्यों ने अपनी कार्य योजना सहित प्राधिकरण को अलग–अलग नीतियों, कर्तव्यों और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया ताकि बैठक में हर विषय नहीं लाया जाए और जरुरत होने पर सर्कुलेशन द्वारा मंजूरी ली जा सकेगी। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि नियुक्ति, प्रमोशन, सेवा शर्तों आदि सहित अपने कर्मचारियों की एक उपयुक्त कार्मिक नीति तैयार की जाए। बैठक ने अध्यक्ष को आवश्यकता पड़ने पर सर्कुलेशन के माध्यम से अन्य सदस्यों के नोटिस में लाने के लिए अधिकृत किया।

4. भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा है कि सीसीएफएस द्वारा मानकों पर लिये गए निर्णय पर विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में, निदेशक (क्यूए एवं एस) ने स्पष्ट किया कि सभी ऐसे निर्णयों को नए मानकों में शामिल किया गया है और एफएसएस नियमन के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

5. सुश्री इंद्राणी कर ने सुझाव दिया कि एफ एस एस ए आई में चलाई जा रही गतिविधियों को एफ एस एस ए आई वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसका सतत् अपडेट किया जाना चाहिए। इस सुझाव पर सहमति बनी।

अगली बैठक अंतरिम रूप से अगस्त 2012 के अंत में तय की गई है। तब तक महत्वपूर्ण मुद्दों, जिन पर प्राधिकरण की मंजूरी चाहिए, उसे सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बैठक समाप्त हुई।

निदेशक (प्रशासन)